भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 309*

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया व्यय

†*309. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में किए गए व्यय की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की भविष्य में उक्त योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की भविष्य में उक्त योजना के अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों को शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 01.03.2025 तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत लगभग 8.99 करोड़ अस्पताल भर्तियाँ की गई हैं, जिन पर 1.26 लाख करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। अस्पताल भर्तियों की संख्या और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, वर्तमान में 1961 प्रक्रियाओं के अनुरूप 27 विभिन्न चिकित्सा विशिष्टताओं में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये तक की नि: शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। समय-समय पर नई आवश्यकताओं के अनुसार योजना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है जैसे नई प्रक्रियाओं को शामिल करना, नए अस्पतालों को पैनल में शामिल करना, नए लाभार्थियों को शामिल करना आदि और इसके साथ ही अन्य सुधार भी किए जाते हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 30,957 से अधिक अस्पतालों का एक नेटवर्क सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 13,866 निजी अस्पताल शामिल हैं।

चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। इसके अलावा, अस्पताल को पैनलबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एबी-पीएमजेएवाई मानदंडों के अनुरूप) की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत और अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ हो सके।

अनुलग्नक

अस्पताल में भर्तियों की संख्या और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल भर्तियों की संख्या**	**अस्पताल भर्तियों के संबंध में किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	482,3	10.11
आंध्र प्रदेश	250,15,79	80.787,17
अरुणाचल प्रदेश	819,6	77.12
असम	550,72,14	43.630,2
बिहार	796,01,18	77.280,2
चंडीगढ़	977,66	97.63
छत्तीसगढ़	245,77,71	68.537,8
डीएनएच और डीडी	592,43,1	78.113
गोवा	913,13	21.5
गुजरात	616,05,65	13.922,14
हरियाणा	287,96,21	50.258,3
हिमाचल प्रदेश	769,37,3	36.457
जम्मू और कश्मीर	832,02,16	05.893,2
झारखंड	825,81,23	18.923,2
कर्नाटक	090,17,12,1	62.922,8
केरल	523,85,68	47.892,7
लद्दाख	562,22	76.32
लक्षद्वीप	430,1	14.4
मध्य प्रदेश	743,21,54	12.570,8
महाराष्ट्र	618,21,28	63.764,6
मणिपुर	305,20,2	34.294
मेघालय	082,77,9	59.944
मिजोरम	246,57,1	40.186
नागालैंड	728,96	25.196
पुडुचेरी	656,19,1	20.98
पंजाब	267,43,25	93.259,3
राजस्थान	990,74,66	97.216,7
सिक्किम	058,28	77.24
तमिलनाडु	951,95,10,1	80.230,8
तेलंगाना	518,13,21	58.663,4
त्रिपुरा	393,22,4	60.405
उत्तर प्रदेश	870,13,60	94.488,9
उत्तराखंड	751,46,14	85.002,3

नोट: 01.03.2025 तक का डेटा

*****